

उत्तर प्रदेश शासन
 चिकित्सा अनुभाग-8
 संख्या-1081/पॉच-8-08-59खा0/2002
 लखनऊ : दिनांक 30 मई, 2008

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 1998 में चयनित निम्नलिखित छात्र निरीक्षकों को 02 वर्ष की परीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से छात्र निरीक्षक के पद पर एतद्द्वारा स्थायी किया जाता है:-

क्र.सं०	छात्र निरीक्षक का नाम	योगदान की तिथि	स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4
1	श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव	23-11-98	23-11-2000
2	श्री विनय कुमार सहाय	02-12-98	02-12-2000
3	श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री विस्जी लाल	07-12-98	07-12-2000
4	श्री आर० के० चौब	30-11-98	30-11-2000
5	श्री ज्ञानकार सिंह	08-12-98	08-12-2000
6	श्री राकेश कुमार सकारियाम	07-12-98	07-12-2000
7	श्री अजय कुमार वर्मा	25-11-98	25-11-2000
8	श्री सैफिक कुमार सिंह	07-12-98	07-12-2000
9	श्री ओम प्रकाश सिंह	18-11-98	18-11-2000
10	श्री राम नरेश पुत्र श्री मंहरपाल सिंह	18-11-98	18-11-2000
11	श्री अजीत कुमार मित्रा	05-12-98	05-12-2000
12	श्री कौशलेन्द्र शर्मा	09-12-98	09-12-2000
13	श्री अशोक कुमार सिंह	30-11-98	30-11-2000
14	श्री राय चरण पुत्र श्री पन्ना लाल	23-11-98	23-11-2000
15	श्री देवेन्द्र कुमार	01-12-98	01-12-2000
16	श्री सूर्यमणि	04-12-98	04-12-2000
17	श्री सदीप कुमार	03-12-98	03-12-2000
18	श्री मनोज कुमार वर्मा	26-11-98	26-11-2000
19	श्री सिद्धार्थ कुमार	28-11-98	28-11-2000
20	श्री प्रतोष कुमार सहा	08-12-98	08-12-2000
21	श्री गिरजेश कुमार द्विवे	23-11-98	23-11-2000

2- तदन्त स्थायीकरण का छात्र निरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है।


प्रशान्त त्रिवेदी
 सचिव।

संख्या-1081(1)/पॉच-8-08तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- निदेशक, स्वास्थ्य, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- 4- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
- 5- सम्बन्धित खाद्य निरीक्षक द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(लोकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।